न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या 12 / 50 / 2024 रजि० नं0 2024 / 117 प्रवेश तिथि 07.10.2024

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
राज यादव, omaxe green meadow city bhiwadi tehsil tapukada - pincode 301019	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 06.11.2024

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2024 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा से जरिये नोटिस क्रमाक 2088 दिनांक 07.10.2024 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस क्रमाक 2089 दिनांक 07.10.2024 जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 16.10.2024 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ।

4– अपीलार्थी नियत दिनाक को उपस्थित नही आया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा से अपील में वर्णित बिन्दूओ पर जवाब प्राप्त नही होने पर पुनः स्मरण पत्र क्रमाक 4011 दिनाक 30.10.2024 जारी किया गया, जिसके परिपेक्ष में जर्ये पत्र क्रमाक 987 दिनाक 04.11.2024 के द्वारा जवाब पेश किया गया है। जवाब के साथ पत्र क्रमाक 960–61 दिनाक 07.10.2024 की प्रति भी संलग्न की गयी है। जवाब में अवगत कराया है, कि चॉही गयी सूचना कार्यालय से सम्बन्धित न होकर कार्यालय नगर परिषद भिवाडी से है, जिसके लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी भी चैयरमैन नगर परिषद भिवाडी है।

5– पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रकरण में अपील पेश होने के पश्चात

अपीलार्थी को सूचित किया गया है। प्रथम आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है, विवरण संलग्न नही है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रथम आवेदन पत्र दिनाक 12.08.2024 पेश कर सूचना चाही गयी थी जो नियत समय अवधि में न दिये जाने के कारण यह अपील न्यायालय को पेश की गयी है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार धारा 6(3) के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाऐ अन्य विभाग/कार्यालय से संबंधित होने के कारण नियत समय अवधि में प्रार्थना पत्र को संबंधित विभाग/कार्यालय को अन्तरित किये जाने का प्रावधान है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भिवाडी जिला खैरथल–तिजारा को हिदायत दी जाती है, कि भविष्य में ऐसे प्रकरणो में विधिक प्रावधानो का ध्यान रखते हुये विधिवत कार्यवाही की जावे। चूँकि प्रकरण में अपीलार्थी को सूचित किया जा चूका है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6– अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
खैरथल–तिजारा (राज0)